राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर,डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी, देशल दान, (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 37/2026
जीसीएमएस नं. 2026/37

दायर दिनांक :–23.03.2026
फैसल दिनांक :–15.04.2026

श्री जसवंतसिंह उर्फ श्री यशवंतसिंह पिता श्री प्रतापसिंह, निवासी–साबली हाल बिछीवाडा
अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर
रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :–

1. श्री कृष्णराज सिंह चौहान–अधिवक्ता अपीलार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 18, आयुध अधिनियम 1959

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर के आदेश क्रमांक न्याय 2025/1018–19 दिनांक 07.10.2025 जिसके अंतर्गत अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र (टोपीदार) अनुज्ञा पत्र शस्त्र का लाइसेन्स नम्बर 11/1965 निरस्त किया गया है। उक्त लाईसेंस की अवधि दिनांक 31.12.2017 को समाप्त हो चुकी थी। लाईसेंस नवीनीकृत हेतु निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी आवेदन नही कर पाया। अपीलार्थी वृद्ध है तथा लम्बे समय से अपीलार्थी की पत्नी हृदय रोग से पीडित है, उसके ईलाज हेतु भी अपीलार्थी अस्पतालो के चक्कर लगा रहा है तथा अपनी पत्नी की देखभाल में भी व्यस्त रहा है। इसके अलावा प्रार्थी का सगा भाई उदयसिंह भी पिछले लम्बे समय से कैंसर रोग से पीडित है, अपीलार्थी उनके ईलाज हेतु भी व्यस्त रहा है। माह सितम्बर 2025 में रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में एक नोटिस क्रमांक न्याय/2025/811 अपीलार्थी को जारी किया गया जो अपीलार्थी को तामील हुआ लेकिन उस समय अपीलार्थी के भाई उदयसिंह का स्वास्थ्य ज्यादा खराब था तथा अपीलार्थी अपने भाई के स्वास्थ्य लाभ हेतु व ईलाज हेतु व्यस्त था। इसलिये वह अपने लाईसेंस के नवीनीकरण की कार्यवाही नही कर पाया। अपीलार्थी दिनांक 08.01.2026 को रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में लाईसेंस नवीनीकृत कराने हेतु गया तो उसे जानकारी हुई की दिनांक 07.10.2025 को रेस्पोडेन्ट उपखण्ड अधिकारी बिछीवाड़ा ने 50 लाईसेंस निरस्त कर दिये तथा शस्त्र जब्त करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश के तहत् ही अपीलार्थी का लाईसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। इस पर अपीलार्थी ने उसी दिन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 20.01.2026 को अपीलार्थी को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। जिसमें क्रम सं. 49 पर अपीलार्थी का लाईसेंस नम्बर व अपीलार्थी का नाम व अन्य जानकारी अंकित है तथा अपीलार्थी का लाईसेन्स भी निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी अपना लाईसेंस नवीनीकृत कराना चाहता है, इस हेतु वह नियमानुसार सभी शर्तों की पालना हेतु तत्पर है। अपीलार्थी काश्तकार है, उसे जंगली जानवरों से अपनी खेती की सुरक्षा हेतु बंदुक की सख्त आवश्यकता रहती है, इसलिये अपीलार्थी के विरूद्ध हुये आदेश को निरस्त कर उसके लाईसेंस को नवीनीकृत किया जाना आवश्यक एवं न्यायहित में है । अपीलार्थी को अपने विरूद्ध हुए आदेश की जानकारी होने के पश्चात् बिना देरी के यह अपील पेश की जा रही हैं आदेश दिनांक 07.10.2025 से 30 दिन के भीतर अपीलार्थी अपील प्रस्तुत नही कर पाया क्योंकि उसे अपने विरूद्ध हुए आदेश की जानकारी नही थी। उक्त विलम्बता को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलार्थी का लाईसेंस को नवीनीकृत किया जाने हेतु अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जवाब देही नोटिस जारी कर प्रकरण से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाव/पत्रावली में अंकित किया है कि अपीलार्थी को नोटिस पत्रांक/811 दिनांक 05.09.2025 द्वारा धारा 17 आयुध अधिनियम 1959 नियम 24 आयुध नियम 2016 के अन्तर्गत शस्त्र नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही कराने तथा समयावधि मे नवीनीकरण कराने पर एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्ती की कार्यवाही संपादित करने संबंधी नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस जारी होने तथा पर्याप्त समय देने के बावजुद अपीलार्थी द्वारा नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही नही करवाई गई। नियमानुसार अनुज्ञाधारी द्वारा आयुध नियम 2016 के नियम 24 के अन्तर्गत विहित समयावधि में नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। अनुज्ञाधारी द्वारा नोटिस तामिल के उपरान्त नवीनीकरण नही कराने के कारण आर्म्स एक्ट 1959 के अध्याय 03 की धारा 17 के अंतर्गत अनुज्ञापत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित नहीं करने से अनुज्ञाधारी के नाम जारी शस्त्र (टोपीदार) अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने संबंधी आदेश जारी किए गए।

प्रकरण में बहस समायत की गई अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वृद्ध है तथा लम्बे समय से अपीलार्थी की पत्नी एवं सगा भाई उदयसिंह भी रोग से पीडित है। अपीलार्थी उनके ईलाज हेतु भी व्यस्त रहा है। अपीलार्थी को काश्तकार होकर जंगली जानवरों से अपनी खेती की सुरक्षा हेतु बंदुक की सख्त आवश्यकता रहती है। इसलिये अपीलार्थी के विरूद्ध हुये आदेश को निरस्त किया जाकर लाईसेंस नवीनीकरण किया जावे तथा अपील को अवधि में शुमार कर अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली और समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया और इस पर विचार किया गया। अपीलकर्ता ने भी अपनी अपील में यह माना है कि उसे नोटिस तामील हुआ है। इसके बावजूद, अपीलकर्ता ने निर्धारित समय में उसका जवाब नही दिया। साथ ही, वर्ष 2017 से नवीनीकरण लंबित होने की स्थिति भी अभिलेखों से परिलक्षित होती है। इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी नोटिस की विधिवत प्राप्ति होने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इस स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश विधि–सम्मत प्रतीत होता है। इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए, मेरे विचार में अपीलकर्ता की अपील स्वीकार करने योग्य नही है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(देशल दान),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)